निर्णय बइजलास के. आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला राजसमन्द राज0

प्र0 सं0 06/2010 रे0 वाद **निर्णय दिनांक 27.07.2018**

अनवान

श्री मनरूप पिता वरदा जी सुथार आयु 75 वर्ष निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ जरीये कायम मुकाम

1. श्री कुन्दनमल पिता मनरूप जी सुथार निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ
2. श्रीमति हगामीदेवी पत्नि मनरूप जी सुथार निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ
3. श्री बाबुलाल पिता मनरुप जी सुथार निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ
4. श्री शान्तीलाल पिता मांगीलाल जी सुथार निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ
5. श्रीमति लहरी देवी पत्नि हगामीलाल जी निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ
6. श्रीमति सुखी देवी पत्नि देवीलाल जी सुथार निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ
7. श्री मादु पिता मांगीलाल जी सुथार निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ
8. श्रीमति लक्ष्मी देवी पिता मांगीलाल जी सुथार निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ
9. श्रीमति मीरा पुत्री मांगीलाल जी सुथार निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ

—वादीगण

बनाम

1. श्री त्रिलोक पिता जयकिशन जाति सुथार निवासी मोयणा तह0 देवगढ
2. श्री रामलाल पिता जयकिशन जी सुथार निवासी मोयणा तह0 देवगढ
3. श्री मोहनलाल पिता जयकिशन जी सुथार निवासी मोयणा तह0 देवगढ
4. श्री कस्तुर पिता नारू जी सुथार निवासी बगतपुरा तह0 देवगढ
5. राज्य सरकार जरीये प्रतिनीधी श्रीमान तहसीलदार साहब तह0 देवगढ

—प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54, 188 रा0 टि0 एक्ट</u>

वादी का वाद संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही दादा वरदा जी की सन्तान है। जिनका वंशवली सजरा निम्नानुसार हे—

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

श्री वरदा जी

श्री नारू (फोत) → कस्तुर प्रतिवादी सं0 4

श्री मनरूप (वादी)

श्री जयकिशन (फोत) →

- श्री त्रिलोक प्रतिवादी सं0 1
- श्री रामलाल प्रतिवादी सं0 2
- श्री मोहनलाल प्रतिवादी सं0 3

वादी श्री वरदा जी के वारीसान है जिनमे नारू व जयकिशन फोत हो चुके है एकमात्र वादी मनरूप जी जीन्दा है। जिनमे मनरूप व कस्तुर ग्राम किशनपुरा मे रहते है जयकिशन जी शुरू से ग्राम मोयणा मे रहते है सयुक्त आराजियात ग्राम बगतपुरा पटवार हल्का नाराणा के तत्कालिन खाता सं0 6 खसरा नं0 88 रकबा 20 बिघा 19 विस्वा खसरा नं0 89 रकबा 16 बिघा 3 विस्वा खसरा नं0 90 रकबा 6 बिघा 4 विस्वा खसरा नं0 93 रकबा 15 विस्वा खसरा नं0 94 रकबा 1 बिघा 17 विस्वा खसरा नं0 95 रकबा 4 विस्वा खसरा नं0 91 'शा0 नं0 92 रकबा 1 बिघा 1 विस्वा खसरा नं0 96 रकबा 1 बिघा 6 विस्वा कुल किता 8 रकबा 48 बिघा 9 विस्वा भूमि स्थित है। साथ ही ग्राम मोयणा पटवार सर्कल जीरण के तत्कालिन खाता सं0 24 खसरा नं0 33 रकबा 17 बिघा 6 विस्वा खसरा नं0 34 रकबा 1 बिघा 12 विस्वा खसरा नं0 61 रकबा 4 विस्वा खसरा नं0 62 रकबा 5 बिघा 15 विस्वा खसरा नं0 63 19 विस्वा खसरा नं0 64 रकबा 1 बिघा 14 विस्वा खसरा नं0 66 रकबा 1 बिघा 4 विस्वा खसरा नं0 67 रकबा 1 बिघा खसरा नं0 70 रकबा 1 बिघा 3 विस्वा खसरा नं0 88 रकबा 4 बिघा 12 विस्वा खसरा नं0 90 रकबा 1 बिघा 2 विस्वा खसरा नं0 194 रकबा 2 बिघा 09 विस्वा खसरा नं0 217 रकबा 2 बिघा 15 विस्वा खसरा नं0 218 रकबा 1 बिघा 14 विस्वा खसरा नं0 219 रकबा 4 बिघा खसरा नं0 225 रकबा 6 बिघा 15 विस्वा कुल किता 14 रकबा 49 बिघा 15 विस्वा भूमि स्थित है। जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 से 3 का सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एव प्रतिवादी सं0 4 का 1/3 हिस्सा हे। नारू, मनरूप व जयकिशन अपने जीवनकाल मे तीनो भाईयो ने एक पारिवारीक समझोता कर ग्राम बगतपुरा की भूमि नारू व मनरूप वादी को रखी मोयणा की अधिकतर भूमि जयकिशन को रखी एव कुछ हिस्सा मनरूप व नारू को रखा गया। उक्त पारिवारीक समझोते पर श्री जयकिशन की अंगुठा निशानी है उसके बाद पुनः पारीवारीक समझोता कर पुर्व के समझोते को सही मान तीनो भाईयो की बीच भूमि का बटवारा मौके पर कर दिया गया। इन्ही दिनो जयकिशन की मृत्यु हो गई। मृतक नारू व वादी मनरूप ने उक्त समझोते के आधार पर ग्राम मोयणा की भूमि के अलग

सहायक कलेक्टर

खाते खुला दिये जिसमे नारू पिता वरदा के आराजी नं0 217/2 रकबा 16 विस्वा आराजी नं0 218/2 रकबा 11 विस्वा व आराजी नं0 219/2 रकबा 12 विस्वा कुल किता 3 रकबा 1 बिघा 19 विस्वा व मनरूप पिता वरदा जी के आराजी नं0 217/2 रकबा 1 बिघा आराजी नं0 218/3 रकबा 12 विस्वा आराजी नं0 219/2 रकबा 2 बिघा 10 विस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बिघा 2 विस्वा भूमि रखी एव नारू व मनरूप के समलाती खाते आराजी सं0 225/ 1 रकबा 6 बिघा 5 विस्वा भूमि रखी गई। शेष भूमि त्रिलोक रामलाल व मोहनलाल पिता जयकिशन सुथार के सामलाती रूप से आराजी नं0 33 रकबा 17 बिघा 6 विस्वा भूमि आराजी नं0 34 रकबा 1 बिघा 12 विस्वा आराजी नं0 62/1 रकबा 5 बिघा 15 विस्वा 1 विस्वांशी आराजी नं0 632 रकबा 9 विस्वा आराजी नं0 14 रकबा 1 बिघा 14 विस्वा आराजी नं0 66 रकबा 1 बिघा 4 विस्वा आराजी नं0 67 रकबा 1 बिघा आराजी नं0 70 रकबा 1 बिघा 3 विस्वा आराजी नं0 88 रकबा 4 बिघा 12 विस्वा आराजी नं0 90 रकबा 1 बिघा 2 विस्वा आराजी नं0 317/1 रकबा 19 विस्वा व आराजी नं0 218/1 रकबा 11 विस्वा आराजी नं0 219/1 रकबा 18 विस्वा कुलिया 38 बिघा 6 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 1 से 3 के हिस्से मे आई है जिसका नामान्तरण खोल दिया गया एव खाता भी अलग खोल दिया गया। परन्तु ग्राम बगतपुरा की भूमि का खाता सामलाती रूप से नारू मनरूप, जयकिशन के नाम पर ही रहा। उक्त भूमि मे जयकिशन का नाम हटाना रह गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारीसान त्रिलोक, मोहन व रामलाल के नाम अंकित हो गये। जब कि ग्राम मोयणा एव बगतपुरा के दोनो गांवो को मिलाकर वरदा जी के वारीसान मे प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अर्थात 33–33 बिघा जमीन आती है। इसके बावजुद आपसी राजीनामा के आधार पर जयकिशन के वारीसान को 38 बिघा 6 विस्वा भूमि जमीन दे दी गई। बाकी शेष भूमि पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है। ग्राम बगतपुरा की भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0 4 का कब्जा है। आपसी बटवारा हो चुका है। जयकिशन जी का नाम बगतपुरा की भूमि मे रह जाने से हटाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत करना पडा जहा वर्तमान मे उनकी जगह त्रिलोक, मोहन व रामलाल का नाम अंकित हो गया है जिसका फायदा उठाने की गरज से प्रतिवादी सं0 1 से 3 नाजायज हरकते कर वादी व प्रतिवादी सं0 4 के कब्जे कास्त मे दखल अन्दाजी कर रहे है। प्रतिवादी सं0 1 से 3 की नियत मे खोट आ गई है। इसलिये उक्त वाद हेतुक उत्पन हुआ। वादी ने प्रतिवादी सं0 5 तहसीलदार देवगढ को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया साथ ही वादी ने चाहा की प्रतिवादी सं0 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वादी के हिस्से व कब्जे पर की जा रही कास्त व दखल अन्दाजी नही करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगण ने मय अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी गण ने अपने जवाब मे बताया की वह मोड जी पिता रूप जी सुथार के यहा जयकिशन जी गोद चले गये। एव जयकिशन जी मोड जी के पुत्र के रूप मे ही रहे एव उक्त भूमि मोड जी के पुत्र की हैसियत

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

से जयकिशन जी को प्राप्त हुई। परन्तु इस सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण ने कोई गोदनामा प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादीगण जयकिशन जी पिता वरदा जी के नाम से ही भूमि पर काबिज रहे दौराने वाद वादी मनरूप की मृत्यु हो गई। वादीमनरूपी की कायम मुकाम वादीगण सं0 1 से 9 बनाये गये। एवं ससोधित वाद शिर्षक शामिल पत्रावली किया गया। दौराने सुनवाई प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 बावजुद सुचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवही की गई। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई वादी के वाद पत्र जवाब वाद पत्र राजस्व रिकोर्ड की जमाबन्दी एव सेटलमेन्ट की जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। ग्राम बगतपुरा एव ग्राम मोयणा की जमाबन्दीयो का अवलोकन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण के पुर्व के समझोता व पारिवारीक बटवारनामा एव सयुक्त हिन्दु कुटुम्ब बटवारनामा की लिखापढी चोपनिया सम्वत् 2009 की आषाढ सुदी बीज का जयकिशन द्वारा लिखा गया। ग्राम बगतपुरा की जमीन नारू व मनरूप के आधा आधा हिस्सा रहने का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादीत तथ्य है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही दादा की संन्तान है एव राजस्व रिकोर्ड मे वरदा पिता रूपा जी खाती के मेवाड सेटलमेन्ट के समय से ही ग्राम बगतपुरा की कुल 48 बिघा 9 विस्वा भूमि व गाम मोयणा की 49 बिघा 15 विस्वा भूमि दर्ज रिकोर्ड थी। अर्थात श्री वरदा पिता रूपा जी सुथार के नाम कुलिया भूमि 98 बिघा 4 विस्वा भूमि बनती है जिनमे से श्री वरदा जी के वारीसान वादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 से 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 का 1/3 हिस्सा होता है। पारीवारीक समझोते से प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने ग्राम मोयणा की 38 बिघा 6 विस्वा भूमि अपने नाम दर्ज रिकोर्ड करा दी है इस हिसाब से ग्राम बगतपुरा पटवार हल्का नराणा की भूमि मे जो 48 बिघा 9 विस्वा है उसमे वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना सही है। साथ ही ग्राम मोयणा की आराजी सं0 225/1 रकबा 6 बिघा 5 विस्वा भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 4 के नाम सयुक्त रूप से 1/2 हिस्से मे है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बगतपुरा पटवार हल्का नाराणा के तत्कालिन खाता सं0 6 खसरा नं0 88 रकबा 20 बिघा 19 विस्वा खसरा नं0 89 रकबा 16 बिघा 3 विस्वा खसरा नं0 90 रकबा 6 बिघा 4 विस्वा खसरा नं0 93 रकबा 15 विस्वा खसरा नं0 94 रकबा 1 बिघा 17 विस्वा खसरा नं0 95 रकबा 4 विस्वा खसरा नं0 91 'शा0 नं0 92 रकबा 1 बिघा 1 विस्वा खसरा नं0 96 रकबा 1 बिघा 6 विस्वा कुल किता 8 रकबा 48 बिघा 9 विस्वा भूमि मे वादी सं0 1 वर्तमान मे वादीगण श्री कुन्दनमल श्रीमति हगामीदेवी, श्री बाबुलाल, श्री शान्तीलाल, श्रीमति लहरी देवी, श्रीमति सुखी देवी , श्री मादु ,श्रीमति लक्ष्मी देवी , श्रीमति मीरा का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 कस्तुर के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एव राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 त्रिलोक प्रतिवादी सं0 2 रामलाल प्रतिवादी सं0 3 मोहनलाल का नाम राजस्व रिकोर्ड मे से ग्राम बगतपुरा मे से विलोपित किये जाने आदेश दिये जाते है। साथ ही ग्राम बगतपुरा की कुलिया 48 बिघा 9

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

विस्वा भूमि का माफिक कब्जे व हिस्से वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 4 के क्रमशः 1/2 हिस्सा अलग से राजस्व रिकोर्ड मे बटवारा कर अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी के साथ ग्राम मोयणा के खसरा नं0 225/1 रकबा 6 बिघा 5 विस्वा भूमि मे वादीगण का 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी गण सं0 4 का 1/2 हिस्सा अलग से माफिक हिस्से व कबजेनुसार बटवारा कर राजस्व रिकोर्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के हिस्से व कब्जे मे कोई दख अन्दाजी स्वयं अपने ऐजेन्ट नौकर चाकर से नही करे इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी किया जावे।

पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे । पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को राजस्व न्यायालय देवगढ मे सुनाया गया। ।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर देवगढ